

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति

प्रलिस के लयि:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, [सर्वोच्च न्यायालय](#), [वधिनसभाएँ](#), [अनुच्छेद 200](#), अनुच्छेद 201, राज्यपाल द्वारा वलिंब, [अनुच्छेद 355](#)

मेन्स के लयि:

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल द्वारा वलिंब और इससे संबधति मुददे.

चरचा में क्यों?

हाल ही में [सर्वोच्च न्यायालय](#) ने कहा कि राज्यपाल की सहमतके लयि भेजे गए वधियकों को "जतिनी जलदी हो सके" वापस कर दया जाना चाहयि, उन्हें रोकना नहीं चाहयि, क्योंकि [राज्यपाल की शथिलता](#) के कारण राज्य [वधिनसभाओं](#) को अनशिचति काल तक इंतजार करना पड़ता है।

- सर्वोच्च न्यायालय ने तेलंगाना राज्य द्वारा दायर एक याचकिा में अपने न्यायकि आदेश में कहा कि राज्यपाल के पासभेजे गए कई महत्त्वपूर्ण वधियकों को लंबति रखा गया है।

राज्य वधियकों पर राज्यपाल की शक्तियाँ:

■ अनुच्छेद 200:

- भारतीय संवधिन का अनुच्छेद 200 कसिी राज्य की वधिनसभा द्वारा पारति वधियक को सहमतके लयि राज्यपाल के समकष परस्तुत करने की प्रकरथिा को रेखांकति करता है, जो या तो सहमतदे सकता है, सहमतकिो रोक सकता है या राष्ट्रपतिद्वारा वधिार के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है।
- राज्यपाल सदन या सदनों द्वारा पुनर्वधिार का अनुरोध करने वाले संदेश के साथ वधियक को वापस भी कर सकता है।

■ अनुच्छेद 201:

- इसमें कहा गया है कि जब कोई वधियक राष्ट्रपति के वधिार के लयि आरकषति होता है, तो राष्ट्रपति वधियक पर सहमतदे सकता है या उस पर रोक लगा सकता है।
- राष्ट्रपति वधियक पर पुनर्वधिार करने के लयि राज्यपाल को उसे सदन या राज्य के वधिनमंडल के सदनों को वापस भेजने का नरिदेश भी दे सकता है।

■ राज्यपाल के पास उपलब्ध वकिलप:

- वह सहमतदे सकता है या वधियक के कुछ प्रावधानों या वधियक पर स्वयं पुनर्वधिार करने का अनुरोध करते हुए इसे वधिनसभा को वापस भेज सकता है।
- वह राष्ट्रपति के वधिार के लयि वधियक को आरकषति कर सकता है, लेकिन ऐसा केवल तभी कया जा सकता है जब राज्यपाल की यह राय है कि वधियक उच्च न्यायालय की स्थति को जोखमि में डाल सकता है।
- वह राष्ट्रपति के वधिार हेतु वधियक को आरकषति कर सकता है। आरकषण अनविरय है जहाँ राज्य वधिनमंडल द्वारा पारति वधियक राज्य उच्च न्यायालय की स्थति को खतरे में डालता है। हालाँकि राज्यपाल वधियक को आरकषति भी कर सकता है यदयिह नमिनलखिति प्रकृति का हो:

- संवधिन के प्रावधानों के खिलाफ
- नीति निदिशक तत्त्वों का वरिध
- देश के व्यापक हति के खिलाफ
- गंभीर राष्ट्रीय महत्त्व का,
- संवधिन के अनुच्छेद 31A के तहत संपत्तिके अनविरय अधगिरहण से संबधति हो।

- एक अन्य विकल्प सहमति को रोकना है, लेकिन ऐसा सामान्य रूप से किसी भी राज्यपाल द्वारा नहीं किया जाता है क्योंकि यह एक अत्यंत अलोकप्रिय कार्यवाही होगी।

सर्वोच्च न्यायालय की सलाह:

- संविधान के **अनुच्छेद 200** के पहले प्रावधान का उल्लेख करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि विधानसभाओं द्वारा पारित किये जाने के बाद उन्हें सहमति के लिये भेजे गए विधियों पर राज्यपालों को देरी नहीं करनी चाहिये।
- **"जतिनी जल्दी हो सके"** उन्हें लौटा दिया जाना चाहिये और अपने पास लंबित नहीं रखना चाहिये। इस अनुच्छेद में अभिव्यक्ति "जतिनी जल्दी हो सके" का महत्त्वपूर्ण संवैधानिक उद्देश्य है और संवैधानिक प्राधिकारी को इसे ध्यान में रखना चाहिये।

राज्यपाल द्वारा वलिंब के हाल के उदाहरण:

- **तमलिनाडु विधानसभा ने एक प्रस्ताव पारित** किया है जिसमें केंद्र सरकार और **राष्ट्रपति** से आग्रह किया गया है कि सिदन में लाए गए विधियों पर राज्यपाल की सहमति के लिये एक समय-सीमा निर्धारित की जाए।
 - उदाहरण के लिये तमलिनाडु के राज्यपाल ने **राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET)** से छूट वाले विधियक को काफी वलिंब के बाद राष्ट्रपति को भेजा।
- केरल में राज्यपाल द्वारा सार्वजनिक रूप से की गई घोषणा कि वह **लोकयुक्त** संशोधन विधियक और **केरल विश्वविद्यालय संशोधन विधियक** को **स्वीकृत नहीं** देंगे, की वजह से अजीब स्थिति उत्पन्न हो गई है।

वलिंबित सहमत के खिलाफ कानूनी तरक:

- **राज्यों का संवैधानिक दायित्व:**
 - विधानसभा द्वारा पारित विधियों पर राज्यपाल की नषिक्रयिता एक ऐसी स्थिति पैदा करती है जहाँ **राज्य सरकार संविधान के अनुसार कार्य करने में असमर्थ होती है।**
 - यदि राज्यपाल संविधान के अनुसार कार्य करने में वफिल रहता है, तो राज्य सरकार का संवैधानिक दायित्व है कि वह **अनुच्छेद 355** को लागू करे और यह अनुरोध करते हुए राष्ट्रपति को सूचित करे कि सरकार की प्रक्रिया संविधान के अनुसार संचालित हो, यह सुनिश्चित करने के लिये राज्यपाल को उचित निर्देश जारी किये जाएँ।
- **सर्वोच्च न्यायालय का फैसला:**
 - संविधान के **अनुच्छेद 361** के तहत **राज्यपाल को अपनी शक्तियों का प्रयोग कर किये गए किसी भी कार्य के लिये अदालती कार्यवाही से पूर्ण छूट प्राप्त है।**
 - यह प्रावधान तब एक **अजीब स्थिति उत्पन्न करता है जब किसी सरकार को किसी विधियक पर सहमति रोकने की राज्यपाल की कार्रवाई** को चुनौती देने की आवश्यकता हो सकती है।
 - अतः राज्यपाल को यह घोषणा करते हुए कि वह **किसी विधियक पर सहमति नहीं** देता/देती है, उसे इस तरह की अस्वीकृत के कारण का खुलासा करना होगा, एक उच्च संवैधानिक प्राधिकारी होने के नाते वह **मनमाने ढंग से कार्य नहीं कर सकता/सकती है।**
 - यदि इनकार करने का आधार दुर्भावनापूर्ण या बाहरी विचार या अधिकारातीत प्रतीत होता है, तो राज्यपाल के इनकार करने की **कार्रवाई को असंवैधानिक करार दिया जा सकता है।**
 - **११११११११ ११११११ ११ १११११ ११११ ११११ १११ १११ ११११११** मामले में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने इन बंदियों को तय किया है।
 - न्यायालय ने नरिणय दिया कि **"अनुच्छेद 361(1) द्वारा प्रदान की गई प्रतिक्रिया दुर्भावना के आधार पर कार्रवाई की वैधता की समीक्षा करने की न्यायालय की क्षमता को सीमित नहीं करती है।**

वदिशों में उपयोग में लाई जाने वाली प्रथाएँ:

- **यूनाइटेड किंगडम:**
 - किसी विधियक को कानून बनाने के लिये शाही सहमति की आवश्यकता की प्रथा यूनाइटेड किंगडम में मौजूद है, लेकिन अभ्यास और उपयोग से **क्राउन के पास कानून को खत्म करने का अधिकार नहीं है।** विवादास्पद आधारों पर शाही सहमति को अस्वीकार करना असंवैधानिक के रूप में देखा जाता है।
- **अमेरिका:**

- संयुक्त राज्य अमेरिका में राष्ट्रपति किसी वधियक को स्वीकृत देने से इनकार कर सकता है, लेकिन इसे प्रत्येक सदन के दो-तहाई सदस्यों के साथ फरि से पारति कयि जाने के बाद यह वधियक कानून बन जाता है।

नोट:

- अन्य लोकतांत्रिक देशों में सहमत से इनकार की प्रथा देखने को नहीं मिलती है और कुछ मामलों में संवधान द्वारा एक उपाय प्रदान कया जाता है ताकि सहमत से इनकार के बावजूद वधियक द्वारा पारति वधियक कानून बन सके।

आगे की राह

- संवधान नरिमाताओं को इस बात का अनुमान नहीं था कि अनुच्छेद 200 के तहत राजपाल किसी वधियक पर कोई कार्रवाई कयि बनि अनश्चितिकाल तक के लयि उसे अपने पास रख सकता है।
- राज्यपाल की ओर से टालमटोल एक नई घटना है जिसके लयि संवधान के ढाँचे में कुछ नए बदलाव कयि जाने की आवश्यकता है इसलयि सर्वोच्च न्यायालय को देश में संघवाद के हति में वधियक द्वारा पारति वधियक पर नरिणय लेने के लयि राज्यपालों हेतु एक उचित समय सीमा नरिधारति करनी चाहयि।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न:

?????????:

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों पर वचिर कीजयि: (2018)

1. किसी राज्य के राज्यपाल के वरिद्ध उसकी पदावधिके दौरान किसी भी न्यायालय में कोई दांडकि कार्यवाही संस्थति नहीं की जाएगी।
2. किसी राज्य के राज्यपाल की परलिब्धयिँ और भत्ते उसकी पदावधिके दौरान कम नहीं कयि जाएंगे।

उपर्युक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. नमिनलखिति में से कौन-सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई वविकाधीन शक्तयिँ हैं? (2014)

1. भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधरिपति करने के लयि रपिर्ट भेजना।
2. मंत्रयिँ की नयुक्ति करना।
3. राज्य वधियकमंडल द्वारा पारति कतपिय वधियकों को भारत के राष्ट्रपति के वचिर के लयि आरक्षति करना।
4. राज्य सरकार के कार्य संचालन के लयि नयिम बनाना।

नीचे दयि गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनयि:

- (a) केवल 1 और 2
- (b) केवल 1 और 3
- (c) केवल 2, 3 और 4
- (d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: (b)

प्रश्न. नमिनलखिति कथनों में से कौन-सा सही है? (2013)

- (a) भारत में एक ही व्यक्तिको एक समय में दो या अधिक राज्यों में राज्यपाल नयुक्ति नहीं कयि जा सकता।
- (b) भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल द्वारा नयुक्ति कयि जातें हैं, ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश

राष्ट्रपति द्वारा नयिकृत कयि जातैं हैं ।

(c) भारत के संवधान में राज्यपाल को उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रया अधकथति नहीं है ।

(d) वधायी व्यवस्था वाले संघ राज्यक्षेत्र में मुख्यमंत्री की नयिकृता उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन के आधार पर की जाती है ।

उत्तर: (c)

प्रश्न. क्या उच्चतम न्यायालय का फैसला (जुलाई 2018) दल्लि के उपराज्यपाल और नरिवाचति सरकार के बीच राजनीतिक कशमकश को नपिटा सकता है? परीक्षण कीजयि । **(मुख्य परीक्षा, 2018)**

प्रश्न. 69वें संवधान संशोधन अधनियम के उन अत्यावश्यक तत्त्वों और वषिमताओं, यदिकोई हों, पर चर्चा कीजयि, जिन्होंने दल्लि के प्रशासन में नरिवाचति प्रतिनिधियों एवं उप-राज्यपाल के बीच हाल में समाचारों में आए मतभेदों को पैदा कर दिया है । क्या आपके वचिर में इससे भारतीय परसिंघीय राजनीति के प्रकार्यण में एक नई प्रवृत्तिका उदय होगा? **(मुख्य परीक्षा, 2016)**

स्रोत: द हद्रि

PDF Refernece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/governor-s-power-over-state-bills>

